Full Title of the Project:-RURAL WATER SUPPLY SCHEME VILLAGE SONKHARI

File No.:- FP/RJ/WATER/15016/2015

Date of Proposal:-

Detailed report of FCA Violation as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980

उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय विशेषाधिकारी से प्राप्त शिकायत उप वन संरक्षक (वन सुरक्षा) राजस्थान जयपुर के पत्रांक 188 दिनांक 29.05.15 से प्राप्त प्रकरण की अनुगामी कार्यवाही के तहत सर्वप्रथम दिनांक 09.06.15 को क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ को वन भूमि प्रत्यावर्तन के नियमो का उल्लघंन कर वन भूमि में सदर्भित कार्य करने के लिये जलदाय विभाग को निर्माण कार्य रूकवाने हेतु निदेर्शित करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना पत्रांक 639 दिनांक 02.07.15 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद से आज दिनांक तक उक्त स्थल पर संदर्भित पांबदी/कार्यस्थगन को यथावत जारी रखते हुये यथास्थिति संधारित की गई हैं। उपरोक्त संधारित कार्यवाही के कालक्रमानुसार विवरण निम्नानुसार है :–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ को लिखा गया इस कार्यालय का पत्रांक 4943 दिनांक 09.06.15।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी का पत्रांक वीआईपी–/605 दिनांक 23.06.15।
3. वनपाल नाका मैथना का पत्रांक एसपी1 दिनांक 02.07.15।
4. मौका पंचनामा 11.06.15।
5. मौका पंचनामा 20.06.15।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ का पत्र 639 दिनांक 02.07.15।
7. वनपाल मैथना का पत्र एसपी1।
8. क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ पत्रांक 659 दिनांक 09.07.15।
9. मौका पंचनामा दिनांक 06.07.15।
10. नजरी नक्शा दिनांक 06.07.15।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Place :Alwar
Date: ....

Name Dr.Shalabh Kumar
Designation Dy. CF, Alwar

Office Seal

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिराव फूले सर्किल, नया बास अलवर, 301001 (राज0)

366
25-6-15

क्रमांकः एफ ()/ वी. आई.पी./2015–16/उवसं/ 4943 दिनांक : 9-6-15

निमित,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,

लक्ष्मणगढ़

विषयः– जलदाय विभाग के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से पानी की टंकी का निर्माण रुकवाने के बावत् में।

सम्दर्भः– मुख्यमंत्री कार्यालय विशेषाधिकारी से प्राप्त शिकायत उप वन संरक्षक (वन सुरक्षा) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 188 दिनांक 29/05/15 से प्राप्त प्रकरण के अनुसरण में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके वन क्षेत्र ग्राम सौंखरी, कठूकर में जलदाय विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है जो कि वनक्षेत्र में पहाड़ एवं पेड़ो को काट कर किया जा रहा है। जिसकी इस कार्यालय द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा इजाजत नहीं दी गयी है। उक्त निर्माण के विरूद्ध ग्रामवासी सौंखरी तह0 कठूमर द्वारा माननीय वनमंत्री महोदय को शिकायत की गयी है।

आप तत्काल मौके पहुँचकर उक्त निर्माण कार्य को व्यक्तिशः मौका निरीक्षण कर वनक्षेत्र में कार्य होना पाया जाने पर तत्काल कार्य को रुकवाए एवं आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

18.6.15

भवदीय,

(पी0 डी0 गुप्ता)
उप वन संरक्षक
अलवर

F:\Alwar DCF\Office Files\Office Work Applications\Applications\VIP Prakaran

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

क्रमांक :- V.I.P./ 605 दिनांक :- 23-6-15

निमित्त :- वनपाल नाका
मैनना

विषय :- जलदाय विभाग के द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से पानी की टंकी का निर्माण करवाने बाबत

प्रसंग :- उप वन संरक्षक अलवर का पत्रांक 4543 दिनांक 9-6-15 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि मुख्यमंत्री कार्यालय शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायत पर उप वन संरक्षक (वन सुरक्षा) रा० जयपुर का पत्रांक 188 दिनांक 29-5-15 से प्रकरण प्राप्त हुआ है। प्रकरण में वन क्षेत्र ग्राम सौंखरी रहडवाकुआ में जलदाय विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है जो कि वन क्षेत्र में पहाड़ एवं पेड़ों को काटकर किया जा रहा है। जिसकी अनुमति कार्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा इजाजत नहीं ली गई है। अतः आप तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त कार्य की मौका निरीक्षण कर वन क्षेत्र में कार्य होना पाये जाने पर तत्काल कार्य को रूकवाए एवं आवश्यक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। इस क्रम में श्रीमान उप वन संरक्षक अलवर द्वारा बार-बार निर्देशित किया जा रहा है।

भवदीय

(रामधन मीना)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

कार्यालय वनपाल भौका मैचना

दि. 02.7.15

क्रमांक S.P.I

निमित्त :- श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी

लक्ष्मणगढ़

RR 402
2-7-15

विषय :- ग्राम सोरकी में एनीकट निर्माण कार्य बन्द करवा के मौका पंचनामा भेजने बाबत

महोदय

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है की ग्राम सोरकी (मैचना) में किसी व्यक्ति की ग्राम सोरकी में एनीकट निर्माण कार्य हो रहा है मौके पर पहुँचकर निर्माण कार्य बन्द करवा कर मौका पंचनामा तैयार कर श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

RK
2.7.15

निवेदक
चन्द्रपाल
सहा. वनपाल
मैचना

मौका पंचनामा

आज दि. 11. 6. 15 को ग्राम सोरवरी के ग्रामीणों द्वारा मौखिक रूप से सोरवरी में पानी की टंकी का निर्माण होने की शिकायत करने पर मैं चन्दरपाल सा. वनपाल नाका मैक्का, श्री मक्खनलाल वन रक्षक श्री नन्दन शर्मा चौकीदार मौके पर पहुंचे ठेकेदार द्वारा ग्राम में एक सिमन्टेड फर्मे का निर्माण कार्य के रखवा गया पाया हमारे द्वारा मौके पर ही टंकी निर्माण करने वाले ठेकेदार को वनभूमि में टंकी का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया एवं मौके पर कार्यरत श्रमिकों को भी वन विभाग की जमीन पर कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। मौके पर ही कार्य करने वाले ठेकेदार एवं श्रमिकों द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया और मौके पर पड़ी हुई निर्माण सामग्री, औजार, इत्यादि भर कर ले गये एवं कार्य पूर्णत: बन्द हो गया। मौके पर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पति को नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर ही हमारे द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों को वन भूमि पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं करने हेतु निवेदन किया गया। जल दाय विभाग के अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर ही वन विभाग कि भूमि पर टंकी का भविष्य में निर्माण नहीं करने का आसवासन दिया गया। मौके पर टंकी का कार्य पूर्णत: बन्द होने एवं निर्माण सामग्री उठाकर ले जाने के उपरान्त वन भूमि पर कार्य बन्द करवाया गया मौके पर मौका पंचनामा तैयार कर के उपस्थित पंचान को पढाया सुनाया एवं सहितसलिम होने पर बतौर साक्षी हस्ताक्षर किए गये।

नन्दनराम — (हस्ताक्षर)

भवदीय
चन्दरपाल
सा. वनपाल

मौका पंचनामा

ग्राम सोरवकी के ग्राम वासियो द्वारा दोबारा वन भूमि पर सोरवकी मे पहले वाला स्थान छोड़ कर अन्य दूसरी जगह पर रवी का निर्माण कार्य चालू करने कि शिकायत करने पर आज दि 20-6-15 को मै चन्द्रपाल सा० वनपाल नाका मैचना, श्रीमन् रतनलाल वर्मा, श्रीनन्दन शर्मा चौकीदार ग्राम वासियो द्वारा बताये गये दूसरी रवी के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पहुंचे मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य होने की गतिविधिया एव निर्माण कार्य मे उपयोग मे होने वाली सामग्री नही मिली है उपस्थित ग्रामीण जो दर्शक रूप से मौजूद थे उन के समक्ष मौका देखा गया। मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य एव निर्माण करने की गतिविधि नही मिली। अतः यह शिकायत मौके पर नही सिद्ध होती है। उपस्थित ग्रामीण को पंचनामे पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया तो उपस्थित ग्रामीणो ने ग्राम मे आपसी विवाद होने का अन्देशा जता कर हस्ताक्षर नही करने हेतु साफ शब्दो मे इन्कार कर दिया। मौके पर मौका पंचनामा व नक्शा उपस्थित सदस्य को पढ़कर सुनाया एव सही समाचीन होने पर बतौर साक्षी हस्ताक्षर करवाये

म०रा

नन्दनराम

भवदीय

चन्द्रपाल

सा० वनपाल

मैचना

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

क्रमांक :- वी.आई.पी./ 639 दिनांक :- 2-7-15

निमित्त :- श्रीमान उपवन संरक्षक महो०
अलवर

विषय :- जलदाय विभाग के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से पानी की टंकी का निर्माण करवाने के क्रम में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक एफ ( ) वी.आई.पी./ 2015-16/ उपवन/ 4943 दिनांक 9-6-15 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि वन खंड ग्राम सोरखरी, कठूमर में जलदाय विभाग द्वारा पानी की टंकी का निर्माण पत्थर एवं पेड़ों को काटकर किये जाने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार श्रीमान जी कि सेवार्थ सूचनार्थ प्रेषित है।

(1) उक्त शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक 11-6-15 को मौके पर ठेकेदार द्वारा टंकी में एक पोर्च का निर्माण करवाया हुआ मिला। मौके पर ही ठेकेदार को वन भूमि पर टंकी निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया एवं मौके पर कार्यरत श्रमिकों को भी वन विभाग की भूमि पर कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात मौके वाही ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया तथा मौके पर पड़ी निर्माण सामग्री, औजार इत्यादि को ठेकेदार साथ ले गया एवं कार्य पूर्णतया बन्द हो गया। मौके पर किसी प्रकार का पहाड़ व पेड़ पौधे नहीं काटे गये है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही दूरभाष द्वारा सम्पर्क करके वन विभाग की भूमि पर टंकी निर्माण नहीं करने हेतु निवेदन किया गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही दूरभाष पर वन विभाग की जमीन पर टंकी का निर्माण नहीं करने का आश्वासन दिया गया। कार्य पूर्णतया बन्द होने पर पंचनामा मौके पर बनाया गया जो संलग्न है (11-6-15)

(2) ग्राम सोरखरी में पहले वाले स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर टंकी बनाने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की गई इस सम्बन्ध में ग्राम वासियों द्वारा बताये गये स्थान पर दिनांक 20-6-15 को अधिनस्थ स्टाफ द्वारा

- - 2 - - -

करवाये गये निर्माण का मुआयना किया गया। परन्तु मौके पर किसी भी प्रकार का रेस्ट निर्माण से सम्बन्धित कार्य नहीं होना पाया गया। अतः इससे पूर्व की गई शिकायत झूठी साबित हुई थी। जिसका मौका पंचनामा बनाया गया जो पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।
संलग्न मौका पंचनामा 20-6-15।

(3) आज दिनांक 2-7-15 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अखिलेश गोयल के खिलाफ ग्राम सौंखरी की वन भूमि पर अवैध रूप से रेस्ट निर्माण की शिकायत का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य चालू नहीं मिला है एवं कार्य पूर्णतया बन्द है दिनांक 11-6-15 को बन्द करने के बाद कोई आज दिनांक तक दोबारा नहीं हुआ है एवं पूर्णतया बन्द है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-
(1) मौका पंचनामा 11-6-15
(2) मौका पंचनामा 20-6-15

भवदीय

(राजधन मीना)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

कार्यालय वनपाल नाका मैनाना

दि॰

क्रमांक 5·P·I

निमित्त :- श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी

लक्षमणगढ़

विषय :- ग्राम सोरवरी मे नवीन टकी निर्माण प्रस्तावित वन भूमि

महोदय

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है की आपके मौखिक आदेश अनुसार ग्राम सोरवरी मे नवीन टंकी निर्माण प्रस्तावित वनभूमि का मौका पंचनामा व नजरी नक्शा तैयार कर श्रीमान जी की सेवा मे पेश है

भवदीय

चन्द्रपाल
स॰ वनपाल
मैनाना

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

क्रमांक :- 659 दिनांक :- 9-7-15

निमित्त :- श्रीमान उप वन संरक्षक महो०
अलवर

विषय :- ग्राम सौंखरी में पहाड़ी पर पूर्व निर्मित 100 किलोलीटर क्षमता के पास नवीन जलाशय क्षमता 235 किलो लीटर निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका मौखिक आदेश दिनांक 4-7-15 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके निर्देश द्वारा दिनांक 4-7-15 के समय अवलोकन करवाई गई कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, राजगढ़ के पत्रांक 1101 दिनांक 01-07-15 की प्रति के क्रम दिये गये निर्देशों की पालना में स्थान का मौका पंचनामा, नजरी नक्शा की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रस्तावित स्थान पर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पति नहीं है जगह खाली है एवं वन भूमि सौंखरी में आरक्षित है।

संलग्न :-
(1) मौका पंचनामा
(2) नजरी नक्शा
(3) PHED राजगढ़ को पत्रांक 1101/01-7-15

भवदीय

(राजधन मीना)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

मौका पंचनामा

आज दिनांक 6.7.15 को हमराहिन श्री चन्द्रपाल सा. वनपाल नाका मैंचना श्री मक्खनलाल स. ग्रा. नाका मैंचना श्री नन्दनशर्मा चौकीदार नाका मैंचना एवं श्री रामसहाय कीर र । जलदाय विभाग कठूमर को साथ लेकर श्रीमान उपवन संरक्षक अलवर एवं श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के मौखिक आदेश अनुसार ग्राम मौरवती की वन भूमि पर प्रस्तावित पानी की टंकी निर्माण स्थल जो पुरानी 35 वर्ष पहले पुरानी टंकी बनी हुई के पास है का मौका मुआयना किया जाकर देखा गया कि मौके पर प्रस्तावित स्थल खाली जगह पहाड़ी पर है जो वन भूमि मौरवती में आ रहा है मौके पर प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे एवं वन सम्पत्ति नहीं है। जगह खाली है मौके पर पंचनामा बनाया जाकर उपस्थित पंचानको पढ़कर सुनाया गया व सही तस्लीम होने पर बतौर साक्षी हस्ताक्षर किए गये।

[signature]
फिटर
PHED कठूमर

[signature]
नन्दनरामशर्मा

[signature]
चन्द्रपाल
सि. वनपाल
मैंचना

C.S.
[signature]
(राधेश्याम मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज0

मौका नक्शा

समय = 11 A.M.

दि. 6-7-15

स्थान = प्रस्तावित नवीन पानी की टंकी वन भूमि सोरवरी

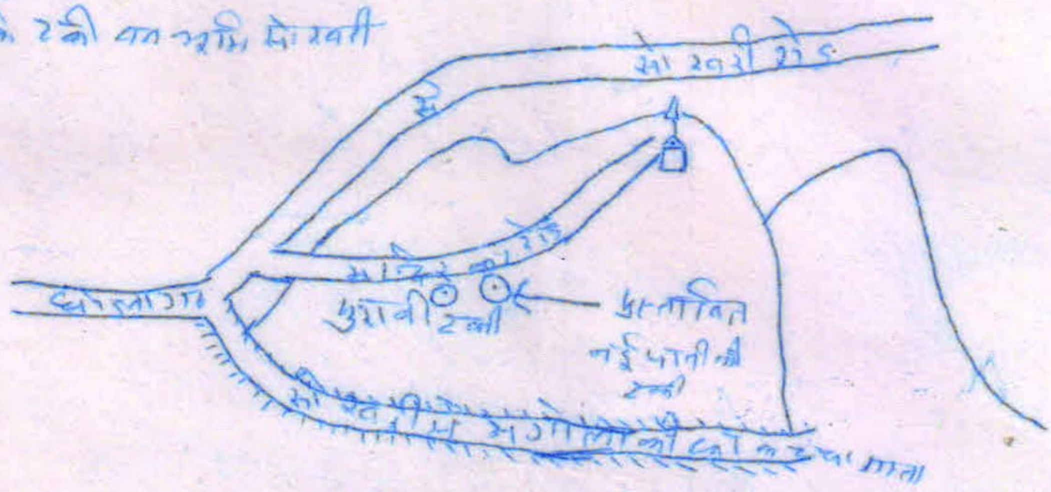

संकेत :-

1. पक्की रोड ═══

2. कच्चा रास्ता

3- पुरानी एवं प्रस्तावित पानी की टंकी = ◎

4. शिवजी का मन्दिर

5. पहाड़ :-

फिटर PHED

चौकीदार

C.S.

(रामधन मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज0

चन्द्रपाल

सा. वनपाल